

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

# राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com



बीकानेर

Rashtradoot

फोन:- 2200660    फैंक्स : 0151-2527371

वर्ष: 47

संख्या: 368

प्रभात

बीकानेर, शुक्रवार 31 जुलाई, 2026

डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22

पृष्ठ 8

मूल्य 2.50 रु.

## एक तरफ प्रधानमंत्री और सरकार की प्रदर्शनकारी छात्रों से बात करने की कोशिश की सोच है

दूसरी ओर भाजपा के ही कुछ वरिष्ठ नेता, जिनमें यूपी की राज्यपाल आनंदी बेन भी शामिल हैं, आंदोलनरत छात्रों को गैरसंस्कारी बता रहे हैं, यहाँ तक कि बड़े भ्दे शब्दों में परिभाषित कर रहे हैं

–श्रीनंद झा–

–राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो–

नई दिल्ली, 30 जुलाई। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अब भाजपा और आरएसएस के उन नेताओं की सूची में शामिल हो गई हैं, जिन्होंने दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे जेन ज़ेड प्रदर्शनकारियों के आचरण और भाषा की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों का आचरण "भारतीय मूल्यों के अनुरूप नहीं था और इससे समाज को शर्मिंदगी उठानी पड़ी।"

इससे पहले केरल के हिंदुत्व विचारक टी. जी. मोहनदास और मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत सहित, कई नेताओं ने भी छात्र प्रदर्शनकारियों की आलोचना की थी। उनका कहना था कि प्रदर्शन के दौरान अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिसका बड़ा हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ था।

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने आज कहा कि प्रदर्शनकारियों द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा ने "पूरे समाज का सिर शर्म

- यह दुविधा सोची समझी रणनीति है या विचारों में वाकई में मतभेद होने का संकेत है।

- अगर इस दुविधा का हल नहीं ढूंढा गया तो आंदोलन और उग्र हो सकता है और उसके परिणाम सभी के लिए दुखदायी हो सकते हैं।

से झुका दिया।" उन्होंने कहा, "जो कुछ भी कहा गया, वह हमारी संस्कृति और परंपराओं के अनुरूप नहीं था।" राज्यपाल ने कहा कि बेटियों को वेद, उपनिषद, भगवद्गीता और रामायण जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, ताकि उनमें अच्छे संस्कार और नैतिक चरित्र का विकास हो।

विर्दबना यह है कि ये टिप्पणियां प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ बातचीत और सामंजस्य बनाने की केन्द्र सरकार की नीति से अलग दिखाई देती हैं। यह अंतर साफ नजर आता है। एक ओर केन्द्र सरकार ने व्यवहारिक रुख अपनाते हुए, बातचीत, समझौते और अंततः आंदोलन की प्रमुख मांगों को स्वीकार करने की इच्छा दिखाई, जो संवाद और

तनाव कम करने की संस्थागत सोच को दर्शाता है। दूसरी ओर, भाजपा और आरएसएस से जुड़े कुछ नेताओं ने टकरावपूर्ण, नैतिक उपदेश देने वाला और कई बार हिंसा का समर्थन करने तथा हिंसा को जरूरी समझने वाला रुख अपनाया। उन्होंने युवा प्रदर्शनकारियों को सामाजिक रूप से पतित बताया तथा उनके खिलाफ घातक बल प्रयोग की बात कही। यह अंतर दिखाता है कि जहां सरकार आधिकारिक स्तर पर संतुलित राजनीतिक प्रबंधन की नीति अपना सकती है, वहीं उसके वैचारिक समूहों के कुछ लोग असहमति के खिलाफ सांस्कृतिक और ध्ववीकरण वाली भाषा का इस्तेमाल करते रहते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

की सीमाओं और युवाओं के असंतोष से निपटने के तरीके को लेकर कई सवाल आज भी अनुत्तरित हैं।

सबसे तीखा हमला केरल के हिंदुत्व विचारक और आरएसएस से जुड़े भाजपा के पूर्व बौद्धिक प्रकोष्ठ प्रमुख टी. जी. मोहनदास की ओर से आया। 26 जुलाई के आसपास जारी किए गए अपने यूट्यूब वीडियो में उन्होंने कहा कि यदि वे प्रभारी तथा अधिकृत होते तो जंतर-मंतर के चारों ओर चार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कर्फ्यू लगा देते, प्रदर्शनकारियों को हटने के लिए तीन बार चेतावनी देते और उसके बाद पुलिस को गोली चलाने का आदेश देते। उन्होंने कहा, "कुछ लोग मर सकते हैं, कुछ लोग हमेशा के लिए दिव्यांग हो सकते हैं (लेकिन) चार घंटे के भीतर स्थिति पूरी तरह शांत हो जाएगी।" उन्होंने यह भी दावा किया कि "वामपंथी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और बहुजन" प्रदर्शनकारियों में शामिल महिलाएं "बलात्कार पसंद करती हैं" और (इसलिये) सामूहिक बलात्कार (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आठ जिलों में स्थाई लोक अदालतों का गठन होगा

जयपुर, 30 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के 8 जिलों में स्थाई लोक अदालतों के गठन का अनुमोदन किया है।

मुख्यमंत्री के निर्णय के अनुसार फलीदौ, डीडवाना-कुचामन, खैरथल–

- मुख्यमंत्री भजनलाल ने फलीदौ, डीडवाना-कुचामन, खैरथल-तिजारा, ब्यावर, बाड़मेर, डींग, कोटपूतली-बहरोड़ और सलूम्बर में लोक अदालतों के गठन का अनुमोदन किया।

तिजारा, ब्यावर, बाड़मेर, डींग, कोटपूतली-बहरोड़ एवं सलूम्बर में स्थाई लोक अदालत खोली जाएंगी। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिल्ली सरकार जंतर मंतर पर पैलेट गन से घायलों का इलाज कराये

नई दिल्ली, 30 जुलाई। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह जंतर-मंतर के विरोध प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से घायल हुए प्रदर्शनकारियों का इलाज कराए। कोर्ट ने प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) के असलहों के मूवमेंट को संरक्षित रखने का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि किसी

- सुप्रीम कोर्ट ने रैपिड एक्शन फोर्स के असलहों के मूवमेंट को संरक्षित रखने का भी आदेश दिया।

विशेष घटना में पैलेट गन के इस्तेमाल की वैधता की जांच की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश आईबी के पूर्व निदेशक और पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त यशोवर्धन आजाद और दो अन्य पीड़ितों की याचिका पर दिया है। याचिका में पैलेट गन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध के साथ ही पीड़ितों को मुआवजा देने की भी मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान कर्नाट प्लेस के पास भारी भीड़ पर नियंत्रण पाने के लिए तैनात आरएएफ ने पहले आंसू गैस और लाठीचार्ज किया। उसके बाद पैलेट से लैस पंप एक्शन गन का इस्तेमाल किया गया।

याचिका में कहा गया है कि बल प्रयोग करने से पहले कोई चेतावनी नहीं दी गई और कई प्रदर्शनकारियों की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बिना निर्वाचित हुए छः माह से अधिक समय तक मंत्री बने रहने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए बिहार सरकार को नोटिस भेज कर जवाब मांगा है

–जाल खंभाता–

–राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो–

नई दिल्ली, 30 जुलाई। बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश एक अजीब तरह की जांच का सामना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि वे विधानसभा या विधान परिषद, किसी भी सदन के सदस्य बने बिना मंत्री पद पर बने हुए हैं।

दीपक प्रकाश पूर्व केन्द्रीय मंत्री उपेन्द्र कुशवाहा के पुत्र हैं। उपेन्द्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम, भाजपा की सहयोगी है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार को यह बताना होगा कि पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश राज्य विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य बने बिना छह महीने से अधिक समय तक मंत्री पद पर कैसे बने रहे।

- यह मामला पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का है, वे ना तो विधानसभा के सदस्य हैं, ना ही विधान परिषद के, इसलिए उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज हुई है।

- दीपक प्रकाश पूर्व केन्द्रीय मंत्री उपेन्द्र कुशवाहा के पुत्र हैं, जिनकी पार्टी आरएलएम एनडीए की घटक है।

- दीपक प्रकाश के खिलाफ सोशल एक्टिविस्ट राकेश कुमार सिंह ने याचिका दायर की है, जिसमें दीपक प्रकाश को बिहार की नई सरकार में मंत्री बनाए जाने को चुनौती दी गई है।

- इससे पहले उन्हें 20 नवम्बर 2025 को बिहार सरकार में मंत्री बनाया गया था, वे तब निर्वाचित नहीं थे।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए याचिकाकर्ता के

वकील ने कहा कि छह महीने से अधिक समय बीत चुका है, फिर भी दीपक प्रकाश बिहार विधानसभा या विधान

परिषद के लिए निर्वाचित हुए बिना मंत्री बने हुए हैं। उन्होंने शीघ्र सुनवाई की मांग करते हुए कहा, "माई लॉर्ड, अब छह महीने से अधिक हो चुके हैं और वे अब भी मंत्री हैं।"

बिहार सरकार की ओर से पेश वकील ने सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि मामला पहले से ही 27 अगस्त को सुनवाई के लिए लिस्टेड है। उन्होंने सुनवाई की तारीख पहले करने का निर्णय अदालत के विवेक पर छोड़ दिया। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि यह पूरी तरह कानून का प्रश्न है और राज्य सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि संविधान के किस प्रावधान के आधार पर किसी ऐसे व्यक्ति को, जो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है, छह महीने से अधिक (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राजस्थान

विधानसभा का

सत्र 20 अगस्त से

जयपुर, 30 जुलाई। राजस्थान की सोलहवीं विधानसभा का छठा सत्र आगामी 20 अगस्त से शुरू होगा। इस संबंध में राजस्थान विधानसभा सचिवालय ने गुरुवार को राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की है। अधिसूचना के अनुसार, राज्यपाल

- राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने अधिसूचना जारी की।

हरिभाऊ बागडे ने संविधान के अनुच्छेद 174(1) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधानसभा का छठा सत्र 20 अगस्त को प्रातः 11 बजे राजस्थान विधानसभा भवन, ज्योति नगर, जयपुर में आहूत किया है। विधानसभा के इस सत्र में सरकार विभिन्न महत्वपूर्ण विधेयकों एवं अन्य सरकारी कार्यों को सदन में प्रस्तुत कर सकती है। इसके साथ ही, विपक्ष भी प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में जुटेगा। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

CM / K

● ● ● ● ●

⊕

● ● ● ● ●

⊕

● ● ● ● ●

⊕

● ● ● ● ●

CM / K